(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4022/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 17-4-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 263/अपील/2015-16.

रामदास पिता नानूरामदास बैरागी
निवासी ग्राम लिलीखेड़ी
तहसील बदनावर जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

नंदकिशोर नानुरामदास बैरागी
मृत द्वारा वारिसान
तहसील सांवेर जिला इंदौर

1. गीताबाई बेवा नंदकिशोरदास
   निवासी ग्राम लिलीखेड़ी
   तहसील बदनावर जिला धार
2. संतोषबाई उर्फ पुनीबाई पिता नंदकिशोरदास
   पति कैलाशदास बैरागी
   निवासी ग्राम ढोलाना
   तहसील बदनावर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री विजय कुमार सराफ, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17-4-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण के पिता स्व. नंदकिशोर द्वारा तहसीलदार, बदनावर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत

किया गया कि ग्राम लिलीखेड़ी तहसील बदनावर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 210/1, 228, 229, 265, 493, 550, 552/1, 553/1, 558/1, 560/2, 562/1 एवं 690 कुल रकबा 3.883 आरे उसके एवं आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियां हैं । प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त शामिल खाते की सर्वे नम्बर 205, रकबा 0.329 हेक्टेयर, 242/2 रकबा 0.354 हेक्टेयर, 398 रकबा 0.202 हेक्टेयर, 400 रकबा 0.038 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 245, 246, 246, 248 चारों का कुल क्षेत्रफल 0.992 आरे की भूमि आवेदक ने अपने हिस्से व कब्जे की बताकर विक्रय कर दी गई है, जिसके आधार पर क्रेताओं का नाम अंकित हो चुका है । इसके पूर्व उक्त शामिलाती खाते में कुल किता 22 कुल रकबा 5.804 आरे की भूमि रही है, जिसमें से लगभग 11 बीघा से अधिक पर उसका कब्जा होकर कास्त कर रहा है । अत: उसके हिस्से एवं कब्जे की भूमि का खाता पृथक किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ-27/2009-10 पंजीबद्ध कर दिनांक 31-8-10 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर जिला धार के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 11-7-2011 को लगभग एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से, विलम्ब की माफी हेतु आवेदन पत्र सहित प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 6-3-2012 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने के कारण निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17-4-2018 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 178 के नियम 2 व 4 पर बिना विचार किए अपील अवधि बाधित मानकर निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह अभिकथन किया गया था कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने हेतु कोई तिथि नियत नहीं की गई थी । आवेदक को आलोच्य आदेश की जानकारी 13-6-2012 को रीडर द्वारा आदेश नोट कराने पर हुई तब उसके द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक ग्रामीण व्यक्ति है एवं वह ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, इसलिए उसे कानून का ज्ञान नहीं है, इसिलए विलम्ब के संबंध में दर्शाए गए कारण सद्भावनापूर्वक एवं पर्याप्त होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवधि विधान के बिन्दु पर

अपील निरस्त करने में भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि समय-सीमा के बिन्दु पर न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के नियम 6 के अनुसार फर्द बटवारा का प्रकाशन नहीं किया गया है, न ही आपत्ति आमंत्रित की गई है, जबकि विभाजन के पूर्व फर्द बटवारा का प्रकाशन किया जाकर आपत्ति आमंत्रित कर, आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत ही बटवारा आदेश पारित किया जा सकता है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1971 आर.एन. 478, 1988 आर.एन. 218 एवं 1994 आर.एन. 27 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी से फर्द बटवारा प्राप्त किया गया है एवं आवेदक को सूचना दी जाकर आवेदक की सहमति से विधिवत बटवारा आदेश पारित किया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा सहमति से पारित बटवारा आदेश को एक वर्ष से भी अधिक समय बाद चुनौती दी गई है और आवेदक द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अत: विलम्ब के संबंध में जो कारण दर्शाये गए हैं, वह सद्भाविक नहीं होने से मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं । उपरोक्त स्थित में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत अपील समय बाधित होने से निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैधानिक एवं अनियमित हैं, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के त्रुटिपूर्ण समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाए गए आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने समय बाह्यता के बिन्दु पर अपीलें खारिज की गई हैं, जबकि तहसील न्यायालय में पक्षकारों की अनुपस्थिति में आदेश हुआ था । आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने तथा आवेदक के अवधि विधान की

धारा 5 के आवेदन की तिथियों में कोई भिन्नता नहीं है । मात्र आदेशिका में नोट करने की तारीख पर्याप्त आधार नहीं है । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में समय-सीमा में छूट दी जानी चाहिए थी । जहां तक प्रकरण में गुण-दोष का प्रश्न है, तहसील न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया ही असमान बटवारा किया है । तहसील न्यायालय में दो फर्द बटवारा पेश हुई और दोनों में कब्जे की स्थिति में भी अन्तर था, अतः इस संबंध में पर्याप्त जांच होनी चाहिए थी । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह प्रकरण में आवश्यक जांच उपरांत विधिवत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17-4-2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर